RISING RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 21/2025

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

श्री प्रकाश सिंह श्री प्रेमसिंह निवासी मानपुरा, गिड़ा, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सांवलराम मेघवाल उपस्थित ।

आदेश

दिनांक : 23.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 13.01.2025 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स वियम लक्ष्मी ई मित्र ग्राहक सेवा केन्द्र, गिड़ा का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री प्रकशसिह पुत्र प्रेमसिंह उपस्थित मिले। मौके पर 7 घरेलु गैस सिलेण्डर भंडारित पाये गये । जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	9965	Indane	29.8	15.6	14.2
2.	इरेज	Indane	29.9	15.7	14.2
3.	8095	Indane	29.7	15.5	14.2
4.	7510	Indane	30	15.8	14.2
5.	इरेज	Indane	29.9	15.7	14.2
6.	3196	Indane	30.1	15.9	14.2
7	1931	Indane	29.5	15.3	14.2

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के विकय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर तथा बिना दस्वातेज व्यावसायिक उपयोग करने पर अवैध मानते हुए उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स नाग्नेची इंडेन गैस एजेन्सी परेउ, गिडा के प्रतिनिधि श्री भैरूसिंह पुत्र चन्दनसिंह को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर बिना दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

व्यावसायिक उपयोग करने हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी), 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी को इण्डेन गैस एजेंसी नागणेची इण्डेन ग्रामीण वितरक परेउ से 7 गैस सिलेण्डर का भण्डारण करने का अनुबंध किया गया है, जिसके तहत अप्रार्थी द्वारा गिडा क्षेत्र में गैस सिलेण्डर वितरण किये जाते है तथा कॉपरेटिव बैक के पास गिडा में गैस सिलेण्डर भण्डारण का CSC VLLE केन्द्र स्थित है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी CSC VLLE केन्द्र पर निरीक्षण के दौरान लाइसेंस के बारे मे पुछा गया तो उस समय अप्रार्थी का लाईसेंस अप्रार्थी के केन्द्र के अंदर लॉक होने तथा केन्द्र की चाबी अप्रार्थी के भाई पदमसिंह के पास होने से अप्रार्थी द्वारा लाईसेंस उपलब्ध नहीं करवा सका। अप्रार्थी के पास 7 घरेलु गैस सिलेण्डर का भण्डारण करने हेतु CSC VLLE केन्द्र है तथा इण्डेन कम्पनी एंड अप्रार्थी के मध्य अनुबंध/एग्रीमेंट हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए मेरी सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स नाग्नेची इंडेन गैस एजेंसी परेउ, गिड़ा के प्रतिनिधि श्री भैरूसिंह पुत्र चन्दनसिंह को सुपुर्दगी पर दिये गये है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि गैस एजेंसी द्वारा अनुबंध के तहत CSC VLLE केन्द्र में 7 घरेलु सिलेण्डर 100 किग्रा तक लाइसेस दे सकते है। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाने पर अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी को इण्डेन गैस एजेंसी नागणेची इण्डेन ग्रामीण वितरक परेउ से 7 गैस सिलेण्डर का भण्डारण करने का अनुबंध किया गया है, जिसके तहत अप्रार्थी द्वारा गिडा क्षेत्र में गैस सिलेण्डर वितरण किये जाते है तथा कॉपरेटिव बैक के पास गिडा में गैस सिलेण्डर भण्डारण का CSC VLLE केन्द्र स्थित है। उसके विरूद्ध की

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। पत्रावली के सलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया जिसमें नागनेणी इण्डेन गैस एजेंसी एवं अप्रार्थी प्रकाश सिंह के मध्य CSC VLLE के तहत 7 घरेलु गैस सिलेण्डर 100 किग्रा तक भण्डारण करने का लाइसेंस होना पाया गया। लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करे। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

7. आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा